सत्यमेव जयते

महाराष्ट्र के राज्यपाल

श्री. मोहम्मद फ़जल

का

अभिभाषण

महाराष्ट्र राज्य विधानमंडल का मुम्बई में संयुक्त अधिवेशन

२२ जनवरी २००३

माननीय सभापति महोदय, अध्यक्ष महोदय एवम् सदस्यगण,

वर्ष २००३ के राज्य विधानमंडल के इस प्रथम सत्र में, आप सभी का स्वागत करते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है। नये मुख्यमंत्री और उनके मंत्रीमंडल का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ।

२. भारत के उपराष्ट्रपति श्री. कृष्णकांत जो एक महान स्वतंत्रता सेनानी और गांधीवादी नेता थे, प्रतिष्ठित विधिवेत्ता और लोकोपकारी श्री. नानी पालखीवाला और हमारे समय के जानेमाने हिंदी कवि श्री. हरीवंशराय बच्चन के दु:खद निधन से हमारे राष्ट्र को बहुत बडी क्षति पहुँची है। मैं उन्हें और अपने विधानमंडल के दिवंगत भूतपूर्व और विद्यमान सदस्यों को, अपनी श्रद्धांजली अर्पित करता हूँ।

३. हाल ही में समाप्त हुआ वर्ष महाराष्ट्र के लिए चुनौती भरा वर्ष रहा है। इस वर्ष में, महाराष्ट्र को सूखा, पेयजल का अभाव और निधि की तंगी जैसी समस्याओं का सामना करना पडा है। मुझे विश्वास है कि मेरी सरकार के ठोस प्रयासो के कारण, इन सभी समस्याओं से हम कामयाबीपूर्वक उबर पायेंगे और महाराष्ट्र, देश में अपना अग्रणी स्थान बनाए रखेगा।

४. जनतांत्रिक मोर्चा सरकार ने अपना तीन वर्ष से भी अधिक समय का कार्यकाल पूर्ण किया है और अपने समान न्यूनतम कार्यक्रम को पूरा करने के लिए तत्परता से और दृढतापूर्वक कार्य कर रही है, साथ ही गरीब और पद्दलितों के उद्धार के लिए ईमानदारी से कार्य कर रही है। गंभीर वित्तीय संकट के बावजूद, मेरी सरकार ने गरीबों की विशेषकर कपास, संत्रा और गन्ने की खेती करने वाले किसानों की सहायता करने और उनकी समस्याएँ दूर करने के लिए हर तरह का प्रयास किया है।

५. दसवीं पंचवर्षीय योजना हेतु महाराष्ट्र के लिए अनुमोदित आकारमान ६६,६३२ करोड़ रुपये है जो कि नौंवी योजना में हुए खर्च की तुलना में लगभग तीस प्रतिशत अधिक है। मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि राज्य में साधन उपलब्धता की कमी होने के बावजूद, महाराष्ट्र, ४७,७८८ करोड़ रुपये खर्च करके राज्य के लिए नौंवी पंचवर्षीय योजना हेतु मंजूर किए गए ४५,१२५ करोड़ रुपये के उद्देश्य को पार कर सका है।

६. राज्य का सकल घरेलू उत्पाद, जो आठवीं योजना में १,४२,७८५ करोड़ रुपये था वह नौंवी योजना में बढकर १,७७,०४८ करोड़ रुपये हो गया है। राज्य के, दसवीं पंचवर्षीय योजना के आकारमान में हुई वृद्धि का हम स्वागत करते हैं, क्योंकि इस कालावधि में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में प्रतिवर्ष ७.४ प्रतिशत की महत्वाकांक्षी वृद्धि करने का निश्चय किया गया है। दसवीं योजना के लिए, कृषि में ३.६ प्रतिशत और उद्योग में ८.२२ प्रतिशत विकास दर, निर्धारित की गई है और ये, पूर्व योजना स्तरों की अपेक्षा बहुत अधिक है।

७. योजना आयोग और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) की मदद से, राज्य द्वारा तैयार की गई महाराष्ट्र मानव विकास रिपोर्ट २००२, राज्य में मानव कल्याण के विभिन्न पहलू की वर्तमान स्थिति का विस्तृत विश्लेषण करती है। इस रिपोर्ट में, आमदनी और रोजगार पैदा करना, गरीबी और प्रादेशिक असमानता को कम करना, मूलभूत न्यूनतम सेवाएँ उपलब्ध कराना, लोगों का सहयोग और मानव, विशेषकर गरीबों की सामर्थ्यक्षमता का विकास करना आदि पर प्रकाश डाला गया है। आशा है कि इससे, राज्य के ज्यादा उपेक्षित क्षेत्रों का, शेष क्षेत्रों की तरह विकास करने के लिए, उन पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलेगी। यह रिपोर्ट, राज्य की विकास योजना प्रक्रिया में मील का पत्थर साबित होगी।

८. राज्य, आज जिस विषम वित्तीय परिस्थिति से गुजर रहा है उसके बारे में तो आप सब जानते ही हैं। मेरी सरकार ने इस समस्या को समझा है और आर्थिक स्थिरता लाने के लिए कई उपाय किए हैं।

९. मेरी सरकार ने, केंद्र के परामर्श से, मध्यावधि आर्थिक सुधार कार्यक्रम तैयार किया है। इस आर्थिक सुधार कार्यक्रम का उद्देश्य राजस्व और आर्थिक घाटे को क्रमशः कम करना और वर्ष २००४-०५ तक राजस्व संतुलन प्राप्त करना है।

१०. राज्य सरकार ने अपने पिछले शीतकालीन अधिवेशन में आर्थिक उत्तरदायित्व और बजट व्यवस्थापन विधेयक भी विधानमंडल में प्रस्तुत किया है।

११. मेरी सरकार, एक स्वतंत्र आर्थिक परामर्श बोर्ड स्थापित करेगी जो आर्थिक उत्तरदायित्व और बजट व्यवस्थापन विधि के कार्यान्वयन का अवलोकन करेगी और राज्य की वित्तीय स्थिति के बारे में, विधानमंडल और आम जनता दोनों को सूचित करती रहेगी।

१२. महाराष्ट्र ने, कर पध्दति में सुधार करने के प्रयास में भी अग्रणीय स्थान हासिल किया है। इन सुधारों का प्रमुख घटक है कि चालू विक्रय कर के स्थान पर मूल्यवर्धित कर प्रणाली को रखना है और १ अप्रैल २००३ से, इसे स्वीकृत करने का प्रस्ताव है।

१३. विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में, महाराष्ट्र देश का एक अग्रणी राज्य है। राज्य की वर्तमान स्थापित क्षमता लगभग ११,००० मेगावॅट है और यह देश में सर्वाधिक है। २७ नवंबर २००२ को, राज्य की अधिकतम माँग १३,४१८ मेगावॅट रिकार्ड की गई थी। पिछले एक वर्ष में, राज्य की अधिकतम माँग १८०० से २००० मेगावॅट तक बढ़ी है। जिसके परिणामस्वरुप लोड़ शेडिंग का सहारा लेना पड़ा है। लोड शेडिंग को कम करने के लिये, मेरी सरकार ने तत्काल कदम उठाये हैं जिसमें पॉवर ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन से ७०० मेगावॅट की अतिरिक्त बिजली खरीदना, केन्द्रीय ऊर्जा क्षेत्र के १५ प्रतिशत अनआबंटित कोटे में से, ७५ मेगावॅट अतिरिक्त ऊर्जा प्राप्त करना और भारत सरकार से ०.५ एमएमसीएमडी अतिरिक्त गॅस आपूर्ति प्राप्त करना है, जिससे एमएसईबी, उरन गॅस पॉवर स्टेशन से, १०० मेगावॅट अधिक उर्जा का उत्पादन कर सकेगी। सरकार ने, निजीकरण के जरिए, स्थापित क्षमता द्वारा २५ मेगावॅट तक हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट विकसित करने की भी नीति अपनाई है।

१४. बिजली की बढ़ती हुई चोरी के कारण, बिजली बोर्ड का विद्यमान आपूर्ति ढाँचा चरमरा गया है। मेरी सरकार, इस संकट पर नियंत्रण पाने के लिए कठोर कार्यवाही कर रही है और इस प्रयोजनार्थ समुचित विधि लागू करने का आशय रखती है।

१५. मेरी सरकार ने, ऊर्जा क्षेत्र में सुधार पर श्वेत पत्र जारी किया है और आम जनता तथा विभिन्न संस्थाओं से टिप्पणियाँ आमंत्रित की हैं। इन विचारों और टिप्पणियों पर विचार करने के बाद, महाराष्ट्र विद्युत सुधार विधेयक को अंतिम रुप दिया जायेगा।

१६. देश में, औद्योगिकीकरण में महाराष्ट्र अग्रणी राज्य है। जनतांत्रिक मोर्चा सरकार के कार्यकाल के दौरान जुलाई २००२ तक, उद्योजकों से ५९,७७३/- करोड़ रुपयों के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इस तरह महाराष्ट्र, औद्योगिक निवेशों को आकर्षित करने में, अन्य राज्यों की तुलना में अग्रणी है।

१७. विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र स्थापन करने हेतु प्रभावी कदम उठाने में महाराष्ट्र का स्थान पहला है। नवीं मुंबई का विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र, देश का पहला कार्यरत विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र होगा। केंद्र सरकार ने रायगड जिले के खोपटा में महामुंबई विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र, स्थापित करने हेतु भी तत्वतः सहमति दर्शायी है।

१८. राज्य सरकार ने, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योगों को सर्वोत्तम मूलभूत सुविधाएँ मुहैया की हैं। सार्वजनिक और निजी इन दोनों क्षेत्रों में अतिविशिष्ट सूचना प्रौद्योगिकी पार्क, स्थापित किये जा चुके हैं। अधिकतर जिलों को ऑप्टिकल फायबर कनेक्टिव्हीटी मुहैया की गई है और इसके अलावा सूचना प्रौद्योगिकी सेक्टर के विकास में सहायक, नासिक, औरंगाबाद, नागपुर और पुणें में **अर्थ स्टेशन** (Earth Station) कार्यरत हो चुके हैं। मुंबई, थाने, नवी मुंबई और पुणें के बीच का ज्ञान क्षेत्र, देश का सबसे बढिया ज्ञान प्रक्रिया क्षेत्र साबित हुआ है।

१९. भौतिक और सामाजिक मूलभूत सुविधायें पैदा करने के लिए दीर्घावधि निवेश जरूरी है। विलंब को टालने और निवेशकों को तथा वित्तीय संस्थाओं को उनके निवेश की सुरक्षा के बारे में सुनिश्चिती दिलाने के लिए, प्रस्तावित महाराष्ट्र मूलभूत सुविधा विकास और सहयोग अधिनियम (मिडास) के जरिए एक कानूनी ढाँचा तैयार किया जा रहा है। प्रस्तावित महाराष्ट्र मूलभूत सुविधा विकास और सहायता अधिनियम के सिध्दान्तों और विभिन्न पहलूओं पर विचार-विमर्श करने के लिए, मुंबई में नवम्बर २००२ में मूलभूत सुविधा सम्मेलन आयोजित किया गया था।

२०. मेरी सरकार ने, लाभग्राही किसानों के जल उपयोगकर्ता संघ को सिंचाई का प्रबन्धन सौंपने का निर्णय लिया है । इस प्रयोजन के लिए, कतिपय नीतिगत सुधार कार्य हाथ में लिया गया है। पुराने और पूरे किये गये सिंचाई प्रोजेक्टों की वितरण प्रणाली का विश्व बैंक की सहायता से पुनर्वास करने का प्रस्ताव है और तद्नुसार, विश्व बैंक को प्रस्ताव पहले ही प्रस्तुत किया जा चुका है।

२१. मेरी सरकार ने, सन्निर्माण कार्य और सिंचाई प्रबन्धन कार्य में निजी सहभागिता को अनुमति देने का भी निश्चय किया है।

२२. जलाशयों के पानी के कार्यक्षम और प्रभावी उपयोग के लिए, सरकार ने दाण्डिक जल प्रभार को उपयुक्तरीत्या, सामान्य जल प्रभार के तिगुने से घटाकर डेढ गुना कर दिया है और जल-निर्धारण के नियमों को सरलीकृत किया है।

२३. राज्य में सिंचाई प्रोजेक्टों के लिए, निधि के न्यायसंगत वितरण के उद्देश्य से सरकार ने, महाराष्ट्र पाटबंधारे वित्तीय कम्पनी लिमिटेड स्थापित की है। यह निगम, राज्य के लिए प्रमुख रूप से निधि की उगाही करेगा और सिंचाई विकास निगमों को रकम वितरित करेगा।

२४. महात्मा फुले जलभूमि अभियान के तहत १,३३३ परिस्त्रवण टंकियों की मरम्मत और पुनःस्थापना की गई है। ३,९०० से अधिक टंकियों की गाद साफ की गई है और १५,०६६ कूओं को दोबारा भरा गया है। ३८,००० से अधिक वनराई बंधारों का सिर्फ लोगों के अंशदान और लोगों की सहभागिता से संनिर्माण किया गया है।

२५. इस वर्ष अनियमित बारिश के कारण खरीफ फसल की स्थिति काफी असंतोषजनक रही। १५ जनवरी २००३ को घोषित अंतिम पैसेवारी के अनुसार, ९७१४ गाँवो की पैसेवारी ५० पैसे से भी कम है। इसलिए, अभाव संबंधी राहत के उपाय करने का कार्य युध्दस्तर पर हाथ में लिया गया है। लगभग २.८७ लाख मजदूर रोजगार गारंटी योजना पर कार्यरत हैं। इस योजना पर अब तक ६३५ करोड रुपये खर्च किये गये हैं। मेरी सरकार ने काम के लिये अनाज कार्यक्रम के तहत् १ लाख टन अनाज भी वितरित किया है। इसके अलावा, आज ४३३ टैंकर ४३४

गाँवों और ८१५ वाडियों को पानी की आपूर्ति करते हैं। यद्यपि, अगले महिनों में इस परिस्थिति के बिगडने की संभावना है, मेरी सरकार इस अभाव की चुनौती को स्वीकारने के लिये पूर्णतया तैयार है।

२६. राज्य सरकार ने पीने का पानी मुहैया करने के लिये, मांग आधारित, समुदाय सहभागिता की नीति को अपनाया है। २५ जिलों के लिए, विश्व बैंक से वित्तीय सहायता हेतु एक प्रस्ताव गत वर्ष सिद्धान्ततः अपनाया गया था और अब वह मूल्यांकन करने और मंजूरी के अंतिम चरण पर पहुँचा है। इस नयी नीति के परिणामस्वरुप, २१ करोड़ रुपयों की सामुदायिक सहभागिता को भी उपयोग में लाया गया है और नवीनतम शुरू की गई स्वजल-धारा योजना के तहत् २१० करोड़ रुपये लागत की लगभग १५०० योजनाएँ केंद्र सरकार के पास मंजूरी के लिए प्रस्तुत की हैं। अब तक लगभग ५७ करोड रुपये लागत की ४३७ योजनाओं को मंजूरी दी गई है।

२७. वित्तीय वर्ष २००२-२००३ के दौरान नवंबर २००२ तक ४२३ बस्तियों की पेयजल की समस्या सुलझायी गयी है और लगभग २६५८ ग्रामीण तथा २२९ शहरी जलआपूर्ति योजनाएँ प्रगति पर हैं। चालू वर्ष में, अबतक, लगभग ३१५.८१ करोड रुपये खर्च किये गये हैं।

२८. पेयजल अभाव कार्यक्रम के तहत् २४,७२९ गाँवों और वाडियों में और अपूर्ववर्ती ११९ शहरी क्षेत्रों में, अक्तूबर २००१ से सितंबर २००२ तक, तत्काल स्वरुप के भिन्न उपाय का कार्य हाथ में लिया गया था, जिनपर १०५.२० करोड़ रुपये खर्च हुए हैं।

२९. गत दो वर्षों के दौरान सामूहिक कार्य के जरिए स्व-विकास की एक नई संस्कृति को बढावा देने में संत गाडगेबाबा ग्राम स्वच्छता अभियान की सफलता को देखते हुए, राज्य सरकार ने इस वर्ष से, शहरी क्षेत्रों में भी इसी प्रकार के कार्यक्रम शुरु किये हैं।

३०. मेरी सरकार ने ६९,८१४ संत्रा उत्पादकों को उनकी फलवाटिका सूख जाने के कारण ६९.८१ करोड़ रुपयों की सहायता दी है। इसके अलावा, सरकार ने, पानी की कमी के कारण तनाव महसूस करनेवाले द्राक्षों के बगीचों को संरक्षित सिंचाई

सुविधा मुहैय्या करने के लिए, द्राक्ष उत्पादकों को अतिरिक्त कर्ज देने हेतु **नाबार्ड** द्वारा पुनः वित्तीय सहायता देने हेतु बैंक गारंटी देने का भी निर्णय लिया है।

३१. "आगामी २५ वर्षों के लिए कृषि विकास हेतु कार्य योजना" पर अंतरराष्ट्रीय स्तर के जानेमाने कृषि विशेषज्ञ डॉ.एम.एस.स्वामीनाथन की अध्यक्षता में नियुक्त उच्चस्तरीय समिति ने, हाल ही में ३१ दिसंबर २००२ को सरकार के पास अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। मेरी सरकार, उक्त रिपोर्ट में की गई सिफारिशों पर शीघ्र ही निर्णय लेगी।

३२. कृषि संबंधी **डब्ल्यूटीओ** करार के संदर्भ में पैदा हुई चुनौतियों का सामना करने के उद्देश्य से सरकार ने कई उपायों की शुरुआत की है। इसमें विविध फसल, पुष्पसंवर्धन को बढावा, उच्च श्रेणी की कृषि, चिकित्सीय और सुगंधी पौधों का रोपण और जैविक खेती का समावेश है। कृषि प्रक्रिया को बढावा देने, खेती से पूर्व सुधारित तक्नालॉजी को अपनाने और कृषिक विपणन करने हेतु, प्रयास किया जा रहा है। इस प्रयोजनार्थ, वसंतराव नाईक राज्य कृषि प्रबंधन और प्रशिक्षण संस्थान, नागपुर और उसके सात सहबद्ध प्रादेशिक संस्थानों की पुनर्रचना की गई है और आधुनिक तक्नालॉजी पर, अधिकारियों, कर्मचारियों और किसानों को बडे पैमाने पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

३३. **"अॅपेडा"** नामक केंद्र सरकार के संगठन ने नासिक, पुणे, अहमदनगर, सोलापुर, जलगांव और सातारा के आसपास के जिलों में, प्याज के लिए कृषि-निर्यात क्षेत्र स्थापित करने संबंधी राज्य सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। तदनुसार, १६ जनवरी २००३ को राज्य सरकार और **अॅपेडा** के बीच "वचनबद्धता करार" पर हस्ताक्षर हुए हैं।

३४. ग्राम सभाओं और ग्राम पंचायतों को सशक्त करने के लिये, अगस्त २००२ में यशवंत ग्राम समृद्धि योजना की शुरुआत की गई है और उसे अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है।

३५. बम्बई ग्राम पंचायत अधिनियम, १९५८ में संशोधन करके, मेरी सरकार ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया है और ग्राम स्तर पर, पंचायतों और ग्राम सभाओं को अत्याधिक शक्तियाँ प्रदान की है ताकि ग्रामवासी खासतौर से महिलाएँ, ग्रामों के विकास कार्य और प्रशासन में कारगर ढंग से सहभागी हो सकें ।

३६. मेरी सरकार एक ऐसी यंत्रणा स्थापित करने पर गंभीरता से विचार कर रही है जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में संग्रहित उपकर और स्टाम्प शुल्क की राशि संबंधित जिला परिषदों को तत्काल अन्तरित की जा सके।

३७. मुझे यह बताने में खुशी हो रही है कि, मेरी सरकार की अत्यधिक प्रभावी और सतर्कतापूर्ण कार्यवाही के कारण, राज्य में आमतौर से शान्ति और व्यवस्था की स्थिति कायम हुई है। मुम्बई, जो देश की आर्थिक राजधानी भी है, लगातार सुरक्षा दबाव में रही है। राज्य पुलिस मशीनरी, केन्द्रीय एजेंसियों की मदद से प्रभावीतौर पर आतंकवादियों और राष्ट्रद्रोही गतिविधियों पर नियंत्रण रखने में समर्थ हुई है। कुछ मामलों को छोडकर, मेरी सरकार ने राज्य में, सामुदायिक सौहार्दता बनाए रखी है। खुफिया तन्त्र को मजबूती प्रदान करने के लिए, प्रमुख कदम उठाये गये हैं और राज्य सरकार सामान्यतया अपने सतर्कता और प्रतिक्रिया तंत्र के स्तर को सुधारने में कामयाब रही है।

३८. मेरी सरकार, कतिपय क्षेत्रों में नक्सलवादी जैसे उग्रवादी राजनीतिक वर्ग की गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखे हुए है। प्रभावित क्षेत्रों मे पुलिस बल और जिला प्रशासन को पर्याप्त मजबूत बनाया गया है।

३९. मेरी सरकार, प्रतिवर्ष लगभग १८५ करोड़ रुपये उपलब्ध कराके, सन २०००-०१ से, राज्य पुलिस बल के आधुनिकीकरण की योजना को सख्ती से लागू कर रही है। इस योजना का लक्ष्य, संचार कक्ष और फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला को मजबूत बनाना है। यह पुलिस कर्मियों को पर्याप्त प्रशिक्षण और अन्य प्रतिकर भी उपलब्ध कराती है। पुलिस संगठन में एक सुविचारित कम्प्युटरीकरण की योजना शुरु की गई है और मुम्बई में, ऑटोमेटिक कम्प्युटराइज्ड फिंगर प्रिन्ट पहचान पद्धति पहले ही बिठायी जा चुकी है। मुंबई स्थित फॉरेनसिक साइंस मुख्यालय में डी एन ए प्रयोगशाला स्थापित की गई है और डाटा बेस योग्यता बनाने हेतु जनसंख्या अध्ययन का कार्य हाथ में लिया गया है।

४०. सरकार, अपनी सुविस्तृत तटरेखा के प्रति पूरी तरह सजग है और उसने तटीय गश्त को और ज्यादा मजबूत बनाने का निर्णय लिया है। पुलिस ने, एक नई स्पीड बोट पहले ही अपने दल में शामिल कर ली है और नौसेना तथा कस्टम प्राधिकारियों के साथ मिलकर तटीय सीमा पर गश्त लगाने के क्षेत्र को और ज्यादा बढ़ा दिया है।

४१. मेरी सरकार, सिविल सुरक्षा संगठनों में सुधार लाने पर विशेष ध्यान दे रही है और उन्हें अतिरिक्त वित्त उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। एयर रेड सायरन सिस्टम का नवीकरण किया जा रहा है। सरकार, होम गार्ड कर्मियों को विशेष प्रोत्साहन दे रही है और वे पुलिस बल, वन रक्षक, दमकल आदि सेवा में शामिल हो सकें इसलिए उनके लिए ५ प्रतिशत आरक्षण कोटे की व्यवस्था की गई है ।

४२. मेरी सरकार ने एक नयी पर्यटन नीति की घोषणा की है। राज्य में विकसित हो रही पर्यटन परियोजनाओं के लिए " नयी प्रोत्साहन योजना " परिचालन में लायी जा रही है। जल्द ही डेक्कन ओडीसी नामक एक नवीन लक्झरी ट्रेन शुरु हो रही है। अजंता-एलोरा गुफाएँ और आसपास के क्षेत्रों के संरक्षण और परिरक्षण का प्रथम चरण, सफलतापूर्वक पूर्ण हुआ है, उम्मीद है दूसरे चरण की परियोजना के लिए, आसपास के क्षेत्रों के विकास हेतु, जापानी बैंक द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिये लगभग ४३० करोड रुपयों की रकम मंजूर की जायेगी।

४३. राज्य में अतिविकट आर्थिक स्थिति के बावजूद मेरी सरकार, कमजोर वर्ग और विशेषकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विमुक्त जाति, खानाबदोश जनजाति, अन्य पिछडे वर्गों और वृध्द और विकलांग व्यक्तियों के हितों की रक्षा करने और उसे बढावा देने के प्रति वचनबध्द है। २६ जुलाई, जो कि राजश्री छत्रपति शाहू महाराज की जन्मतिथि है, हर साल " सामाजिक न्याय दिन " के रुप में मनाई जायेगी। सरकार, सामाजिक न्याय सूचकांक की संकल्पना को स्पष्ट करके प्रति वर्ष इस दिन सामाजिक न्याय रिपोर्ट प्रकाशित करेगी।

४४. मेरी सरकार ने अनूसूचित जाति, विमुक्त जाति, खानाबदोश जनजाति और विशेष पिछडा वर्ग के ८०,००० से अधिक विद्यार्थियों को स्तरीय शिक्षा मुहैया कराने के लिए, २४३ नवीन आश्रम शालाओं को मंजूरी देने का निर्णय लिया है। सरकारने विकलांगों के पुराने अनअनुदानित विशेष विद्यालयों को सहायता अनुदान देने का भी निश्चय किया है। अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति और खानाबदोश जनजातियों, विकलांगों और वृध्दों की विभिन्न आवासीय संस्थाओं के लगभग १,८०,००० निवासियों के लिए, भरण-पोषण भत्ता, १ अप्रैल २००२ से, प्रतिमाह ३३५ रुपये से बढाकर प्रतिमाह ५०० रुपये कर दिया है, जिससे प्रतिवर्ष ३३ करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च होगा। इसी तरह, पिछडे वर्गों के सरकारी छात्रावासों के लगभग

१९,००० छात्रों को दिया जानेवाला भरण- पोषण भत्ता भी बढा दिया गया है। अनुसूचित जाति, अनूसूचित जनजाति और विमुक्त जाति और खानाबदोश जनजातियों को लागू, मैट्रिक के बाद दी जानेवाली छात्रवृत्ति, अकादमिक वर्ष २००३-२००४ से अन्य पिछडे वर्गों के लगभग ४ लाख छात्रों को भी दी जायेगी, इससे प्रतिवर्ष १२० करोड़ रुपये खर्च होंगे। अनुसूचित जाति की ३ लाख महिलाओं को २० करोड़ रुपये की लागत वाली "स्वयम सहायता समूह के माध्यम से सशक्तिकरण" योजना के तहत ३ वर्ष के लिए सम्मिलित किया जायेगा। मेरी सरकार, समाज के दुर्बल घटकों के प्रति अपनी वचनबध्दता को बढायेगी, उसे अधिक व्यापक और दृढ बनायेगी और उनके कल्याण के लिए बनाई गई योजनाओं और कार्यक्रमों के लिए निधि उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगी।

४५. जनजाति के बच्चों के शैक्षणिक विकास के लिए, सन् २००२-२००३ के दौरान ५३ नए सरकारी छात्रावास और १० नयी सरकारी आश्रमशालायें खोली गयी हैं। स्वैच्छिक संगठनों द्वारा चलाई जा रही सहायताप्राप्त आश्रम शालाओं में पढनेवाले छात्रों को दिया जानेवाला भरण-पोषण भत्ता, १ अप्रैल २००२ से प्रतिमाह प्रति छात्र ३३५ रुपये से बढाकर ५०० रुपये कर दिया गया है। इसका लाभ लगभग १,३८,८०० छात्रों को मिलेगा ।

४६. प्रभागीय, जिला और तालुका स्तर के सरकारी छात्रावासों के छात्रों को दिया जानेवाला भरण-पोषण भत्ता क्रमशः प्रतिछात्र प्रतिमाह १५० रुपये से बढाकर २०० रुपये, २५ रुपये से बढाकर ७५ रुपये और २५ रुपये से बढाकर ५० रुपये कर दिया गया है। इसका लाभ १८,६८५ छात्रों को मिलेगा।

४७. मेरी सरकार द्वारा, इस राज्य में परिवार कल्याण कार्यक्रम प्रभावी रीत्या अमल में लाया जा रहा है। महाराष्ट्र में गत दशक में, जनसंख्या वृध्दि की दर २५.७३ प्रतिशत से घटकर २२.५५ प्रतिशत हुई है। राज्य द्वारा अपनाई गई जनसंख्या नीति, दो बच्चों के मानक को बढावा देती है और शिशु, बालक और मातृत्व मृत्यु दर को योजनाबद्ध तथा प्रभावी रीत्या कम करने पर जोर देती है ।

४८. मेरी सरकारद्वारा, **एड्स** नियंत्रण कार्यक्रम भी गंभीरतापूर्वक अमल में लाया जा रहा है। यह कार्यक्रम तीन **एड्स** नियंत्रण संस्थाओं और स्वयम् सहायता समूहों के जरिए अमल में लाया जा रहा है। हम सबके लिए यह जानना जरूरी है कि जिम्मेदाराना बर्ताव ही **एड्स** के फैलाव को रोक सकता है ।

४९. विदर्भ और मराठवाडा में, चिकित्सा शिक्षा के अनुशेष को दूर करने के लिए, मेरी सरकार ने, लातूर और अकोला में १००-१०० सीटों की क्षमतावाले दो नये सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय खोले हैं।

५०. लोक स्वास्थ्य के हित में और गुटखा सेवन के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए, मेरी सरकार ने, अगस्त २००२ से पांच वर्ष की अवधि के लिए, महाराष्ट्र राज्य में गुटखा के निर्माण, विक्रय और भण्डारण या प्रदर्शन पर प्रतिबन्ध लगाया है। जिससे प्रतिवर्ष लगभग २५ करोड़ रुपयों की राजस्व हानि होगी।

५१. मेरी सरकार ने, पिछले वर्ष से " सर्व शिक्षण मुहिम " नामक प्रोजेक्ट लागू किया था है और ६ वर्ष की आयु पूरी करनेवाले ९६ प्रतिशत बच्चों का विद्यालय में नामांकन कराने में वह सफल हुई है। अब, मेरी सरकार का यह प्रयास रहेगा कि वर्ष २००३ के दौरान विद्यालय में जाने की उम्र के हर बच्चे का विद्यालय में नामांकन कराया जाए। पिछले वर्ष के १०० करोड़ रुपयों के मुकाबले में, सरकार इस वर्ष के दौरान, इस मुहिम के तहत् ३६९ करोड़ रुपये खर्च करेगी। इसका तात्पर्य, सम्मिलित शिक्षा कार्यक्रम के तहत, अतिरिक्त कक्षाएँ खोलना, अध्ययन-अध्यापन सामग्री उपलब्ध कराना और सभी विकलांग बच्चों के नामांकन से है।

५२. शिक्षा की क्वालिटी और शिक्षकों की जबाबदेहिता बढाने के लिए, मेरी सरकार ने बोर्ड-स्तर पर, प्राथमिक विद्यालय प्रमाणपत्र परीक्षा लेने और जिला परिषदों के विद्यालयों पर ग्राम शिक्षा समितियों को पर्यवेक्षकीय भूमिका देने का भी निर्णय लिया है।

५३. मेरी सरकार की यह भी कोशिश रहेगी कि दसवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक, सभी माध्यमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर लगाए जायें। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि राज्य के इस प्रयास में अपना योगदान देने के लिये, महाराष्ट्र में संसद सदस्य और विधान सभा के सदस्यों ने अपनी विवेकाधीन निधि में से, अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों के विद्यालयों को अनेक कंप्यूटर उपलब्ध कराए हैं।

५४. समाज में डिजिटल भेद से बचने के लिए, मेरी सरकार ने सन २०००-२००१ में महाराष्ट्र नॉलेज कार्पोरेशन लिमिटेड स्थापित किया था। निगम ने, राज्य के २२२ तालुकाओं में २८०० प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किये हैं। अब तक, ८७,०००

विद्यार्थियों और अधिकारियों ने सूचना प्रौद्योगिकी में महाराष्ट्र राज्य प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम पूरा किया है और अन्य ७५,००० विद्यार्थी इन केंद्रो में पाठ्यक्रम पूरा कर रहे हैं।

५५. मेरी सरकार ने, सरकार द्वारा चलाये जा रहे १५९ औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में लोक सेवा केन्द्र भी खोले हैं। आई.टी.आई. से प्रशिक्षित व्यक्ति अपना रोजगार पा सकेंगे और अपने कारोबार की जरुरतों को पूरा करने के लिए, इन संस्थानों की अतिरिक्त क्षमता का उपयोग कर सकेंगे।

५६. राज्य के इंजीनियरिंग महाविद्यालयों को आई.आई.टी. के स्तर पर लाने और ८ पोलिटेक्निकों को सर्वोत्तम केन्द्र के रुप में विकसित करने के लिए, मेरी सरकार ने इन संस्थानों को पूर्ण स्वायत्तता प्रदान करने का निर्णय लिया है।

५७. मेरी सरकार ने, खेल नीति-२००१ अमल में लाने को प्राथमिकता दी है। प्रत्येक तालुका में, तालुका स्पोर्टस् कॉम्प्लेक्स स्थापित किये जाएँगे, जिसमें हर कॉम्प्लेक्स के लिए, राज्य २५ लाख रुपये का अंशदान करेगा। २००२-२००३ के दौरान १०० तालुकाओं को अंशदान दिया जायेगा। खेल के मैदान और व्यायाम शाला के विकास के लिए दी जानेवाली सहायता अनुदान की सीमा १ लाख रुपये से बढाकर २ लाख रुपये कर दी गई है। महिलाओं के लिए आत्मरक्षा से संबंधित " स्वयंसिध्दा " नामक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरु किया गया है। खिलाडियों केलिए १ लाख रुपये का " शिवछत्रपति जीवन गौरव क्रीडा पुरस्कार " जीवन भर की उपलब्धियों का गौरव करने के लिये शुरु किया गया है। शिव छत्रपति राज्य क्रीडा पुरस्कार के अधीन खिलाडियों को दी जानेवाली पुरस्कार राशि और दादोजी कोंडदेव पुरस्कार के तहत प्रशिक्षकों को दी जानेवाली पुरस्कार राशि २५,००० रुपयों से बढाकर ५०,००० रुपये कर दी गई है।

५८. हमारे तीन ई-गव्हर्नन्स प्रोजेक्टों को राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम पुरस्कार दिया गया है । इनमें लोगों से बेहतर संपर्क हेतु **" सेतु "** राजस्व में सर्वाधिक बढोत्तरी हेतु **" सरिता "** और उत्तम वेबसाईट हेतु " पीडब्ल्यूडी-ऑनलाईन " नामक प्रोजेक्ट शामिल है।

५९. २२ जिला मुख्यालयों और ६८ तालुका मुख्यालयों में अबतक शुरु किये गये **' सेतु '** केंद्रों द्वारा दी जानेवाली सेवाओं से नागरिक बडे पैमाने पर लाभ उठा रहे हैं। संपत्ति के अभिलेख और प्रमाणपत्रों के अलावा बिजली का बिल, पानी का बिल, संपत्ति कर, टेलिफोन बिल की अदायगी करने, बसों तथा ट्रेनों पर सीट का आरक्षण करने जैसी अन्य सेवा भी **" आय-सेतु "** नामक केंद्र के जरिए एकीकृतरीत्या दिये जाने का प्रस्ताव है।

६०. भिन्न सरकारी विभागों में, कम्प्यूटर के उपयोग को गति देने के लिए, राज्य, जिला और तालुका स्तर पर, डाटा केंद्र स्थापित किये जा रहे हैं।

६१. समूचे राज्य को कम्प्यूटर से जोडने के लिए, निजी सेक्टर के जरिए, ब्रॉड-बैंड ऑप्टिक फायबर नेटवर्क बिछाने का कार्य भी शीघ्र गति से किया जा रहा है ताकि कम्प्युटर क्रांती का लाभ ग्रामीण क्षेत्रों को भी मिल सके।

६२. मेरी सरकार, सूचना प्रौद्योगिकी को अपनाने के प्रति वचनबध्द है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इसके उपयोग से आम आदमी को तत्काल सेवा दी जा सके।

६३. सड़क विकास कार्यक्रम को प्रभावी रूप से अमल में लाने के लिए, मेरी सरकार ने निजी सेक्टर की सहभागिता से कुछ महत्वपूर्ण प्रोजेक्टों का कार्य हाथ में लेने का निर्णय लिया है। इसमें अधूरा मुंबई-पुणे द्रुतगति मार्ग पूरा करना, मुंबई शहर के फ्लायओवर, रेल्वे ओवर ब्रीज और कई अन्य राज्य सड़क परियोजनायें शामिल हैं। संपूर्ण ९५ किलो मीटर लंबा मुंबई - पुणे द्रुतगति मार्ग का कार्य, महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम द्वारा पूरा किया गया है और वह मार्च २००२ से पूर्णतया यातायात के लिये खोला गया है। मेरी सरकार ने, राज्य के कुछ प्रमुख शहरों में, एकीकृत सड़क विकास प्रोजेक्ट का कार्य भी हाथ में लिया था। इस कार्यक्रम के तहत् राज्य के नागपुर, पुणे और औरंगाबाद शहरों में बडे निर्माणकार्य हाथ में लिये गये हैं। इस वर्ष, यह कार्यक्रम अमरावती और सोलापुर शहरों में भी लागू किया गया है और क्रमशः इसकी लागत ११४ करोड़ रुपये और ९१ करोड़ रुपये होगी।

६४. मेरी सरकार ने १९९१ की जनगणना के अनुसार, ५०,००० से अधिक आबादीवाले ६१ शहरों में लोक आवास योजना और वाल्मिकी आंबेडकर आवास योजना अमल में लाने का निर्णय लिया है। इस योजना का लक्ष्य मकान मुहैया करना और मलिन बस्ती वासियों के जीवन स्तर में सुधार लाना है। चूँकि लाभार्थी या तो आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के हैं या गरीबी रेखा के नीचे के वर्ग के हैं अत: वे छानबीन शुल्क, विकास प्रभार, स्टाम्प शुल्क, भू-कर सर्वेक्षण फीस, गैर-कृषिक निर्धारण शुल्क आदि जैसे प्रभारों की अदायगी करने में सक्षम नहीं हैं। इसलिए, मेरी सरकार ने इन प्रभारों से छूट देने या उन्हें कम करने का निर्णय लिया है और यह अनुमान है कि वर्ष २००२-२००३ के दौरान, १०,४२१ मकान बनाये जाएँगे।

६५. बिडी कर्मियों के जीवनस्तर में सुधार लाने की दृष्टि से, मेरी सरकार, राज्य में बिडी कर्मियों के लिए आवास योजना अमल में ला रही है। यह केंद्र और राज्य सरकारों का एक बेजोड संयुक्त प्रयास है, जिसमें १०,००० मकानों का कार्य पूरा करने की योजना है। छह हजार से अधिक मकानों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और मार्च २००४ तक शेष मकानों का निर्माण कार्य पूरा किया जाएगा।

६६. ८० साल पूर्व बनायी गयी बी.डी.डी. चालों के पुनर्निर्माण का कार्य और उसके अलावा धारावी की मलिन बस्तियों का आकार बढ़ाने का कार्य हाथ में लेने का मेरी सरकार का प्रस्ताव है।

६७. मुंबई-शहर परिवहन प्रोजेक्ट, जो ४५२६ करोड़ रुपये निवेश वाला एक बडा मल्टी - मॉडल ट्रान्सपोर्ट प्रोजेक्ट है, जिसे विश्व बैंक ने मंजूरी दी थी और नवम्बर, २००२ से ऋण प्रभावी हुआ है।

६८. यह प्रोजेक्ट सार्वजनिक परिवहन प्रणाली पर काफी बल देता है और इससे मुंबई के यात्रियों को राहत मिलेगी। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य उपनगरीय रेल यातायात में व्यापक सुधार करना, पर्यावरण के अनुकूल नई बसों को खरीदना, इस द्विप शहर के लिए नई यातायात सिग्नल प्रणाली बनाना और दो मुख्य पूर्व तथा पश्चिम लिंक रोड का विकास करना है।

६९. मेरी सरकार ने दादर स्थित " चैत्यभूमि " के विकास और सौंदर्यीकरण के लिए, ५ करोड़ रुपयों की राशि आबंटित की है।

७०. ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार, मुंबई उच्च न्यायालय ने, राज्य में, इस वर्ष, शीघ्रता से न्याय देनेवाले नये नौ न्यायालयों की स्थापना की है जिसके कारण, राज्य में शीघ्रता से न्याय देनेवाले (Fast track) न्यायालयों की कुल संख्या १०३ हो गई है । इन न्यायालयों ने वर्ष २००२ में, १३,३३९ सिविल तथा दाण्डिक मामलों का निपटान किया है जिसके कारण, नवम्बर २००२ के अन्त तक, इन न्यायालयों द्वारा इस प्रकार निपटाये गये कुल मामलों की संख्या २१,१६० हो गई है।

७१. मेरी सरकार ने, यवतमाल जिले के पांढरकवडा में अपर जिला तथा सत्र न्यायाधीश और सिविल न्यायाधीश, वरिष्ठ खंड तथा बीड जिले के किल्ले धारूर में सिविल न्यायाधीश, कनिष्ठ खंड और प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय स्थापित किये हैं।

७२. मेरी सरकार ने, बेरोजगार युवकों को रोजगार के अवसर देने के उद्देश्य को पूरा करने की दृष्टि से, २८०० सेवा सोसायटियों को सक्रिय बनाया है। स्थानीय स्व-शासन संस्थान और स्वेच्छा संगठनों के सहयोग से, राज्य में लगभग ५९६ लोक सेवा केंद्र स्थापित किये गये हैं जिसमें से १५९ लोक सेवा केंद्र आय टी आय में स्थित हैं।

७३. मेरी सरकार ने २० अगस्त २००२ से " स्वयं-रोजगार अभियान " शुरु किया है, जिसके तहत् सेवा संस्थाओं तथा लोक सेवा केंद्रों को अनेक सुविधायें मुहैया की गई हैं और उन्हें विशिष्ट कार्य सौंपे गये हैं।

७४. मेरी सरकार, लंबे अरसे से अनिर्णित महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा विवाद का सौहार्दपूर्ण हल निकालने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इस विवादास्पद समस्या के सौहार्दपूर्ण हल के लिए, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित उच्चाधिकार समिति ने, भारत के संविधान के अनुच्छेद १३१ के अधीन, मेरी सरकार से, उच्चतम न्यायालय में जाने की एकमत से, सिफारिश की है और मेरी सरकार उक्त सुझाव पर, सक्रियता से विचार कर रही है।

७५. सम्माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार द्वारा किये गये कुछ महत्वपूर्ण कार्य और की गई पहल की विशेषताएँ मैंने बतलाई हैं। मैं दोनों सदनों से यह अनुरोध करता हूँ कि वे इन कार्यक्रमों को अमल में लाने के लिए, सहयोग दें ताकि, महाराष्ट्र एक अग्रणी और सुप्रशासित राज्य बना रहे।

जय हिंद ! जय महाराष्ट्र !!

शासकीय मध्यवर्ती मुद्रणालय, मुंबई.